न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 88 / 22 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. 2022 / 170

श्रीमती कौशल्या कुंवर बनाम श्री राज. राज्य जरिये तहसीलदार कानोड व वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक 19.09.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चोल पटवार हल्का मातीदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की साबिक आराजी न. 6, 32 किता 2 रकबा 48 बीघा 9 बिस्वा स्थित होकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से अंकित थी। साबिक आराजी न. 6, 32 किता 2 रकबा 48 बिघा 9 बिस्वा प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की थी और उक्त भूमि राजस्व नक्शे में पेमुद की हुई थी। आराजी न. 6 रकबा 47 बिघा 8 बिस्वा-चकला सेटलमेंट संवत 2011 में जागीरदार खास के नाम पर अंकित थी। उक्त आराजी में से 15 बिघा भूमि हरि सिंह पिता लाल सिंह राजपुत को प्रार्थीगण के पुर्वजों द्वारा विक्रय कर दी गयी जिसके खसरा संख्या 6/1 कायम किये गये एवं शेष खसरा न. 6 मी. रकबा 32 बिघा 8 बिस्वा रही जो करण सिंह पिता माधू सिंह राजपुत के नाम पर अंकित हुई।
2. यह कि मौजा चोल तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में हाल ही के वर्षो में सेटलमेंट का कार्य पुर्ण हुआ जिससे सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा मौजा चोल के साबिक आराजी न. 6 के नवीन आराजी संख्या कायम नहीं किये बल्कि साबिक खसरा न. 6/1 के नवीन खसरा न. 77, 82 किता 2 रकबा 3.24 है. एवं साबिक खसरा संख्या 6 मी. के नवीन खसरा न. 83, 86 किता 2 रकबा 7.000 है. एवं साबिक खसरा न. 32 के नवीन खसरा न. 91 रकबा 3.4700 है. कायम किये गये। साबिक खसरा सं. 6 मी. एवं 32 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग अपने बाप दादाओं के वक्त से चला आ रहा था और जहां पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा था उस भूमि के स्थान पर नवीन खसरा न. 77, 82 विपक्षी के नाम पर कायम कर दिये जब कि आराजी न. 77, 82 किता 2 रकबा 3.24 है. भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है और आराजी न. 77, 82 के किसी भी अंश पर विपक्षी का कोई कब्जा नहीं है इस प्रकार मौके की स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे की वर्तमान स्थिति मेल नही खाती है। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा प्रार्थीगण जिस भूमि पर काबिज थे वहां पर नये न. कायम करने चाहिये थे और वही भूमि राजस्व नक्शे में पेमुद करनी चाहिये थी लेकिन ऐसा नही कर प्रार्थीगण के हक व अधिकारों को प्रभावित करने के लिए मौके व रिकार्ड की स्थिति का अवलोकन किये गलत रूप से कायम कर दिये है आराजी न. 6/1 रकबा 15 बिघा हरि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:39:28 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] उपखण्ड अधिकारी (SDO) [illegible]

सिंह के नाम अंकित की उसके नवीन खसरा नं 77, 82 अंकित हुए विपक्षी के नाम गलत अंकित कर दी। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को साबिक रेकर्ड एवं मौके के अनुसार तरमीम नही होने से वर्तमान रेकर्ड व नक्शे को साबिक रेकर्ड अनुसार शुद्ध किए जाने का निवेदन किया।

3 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम चौल तहसील कानोड की साबिक आराजी नं 6/1 रकबा 15 बिघा के भू प्रबन्धन के बाद बने नये आराजी नं 77, 82 किता 2 रकबा 3.24 है भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खाता संख्या 115 पर गजेन्द्रसिंह नरेन्द्रसिंह, आजादकुवर, चादकुवर, पुरणकुवर, विनोदकुवर, सुगनकुवर पिता हरि सिंह, रामकुवर पत्नी हरिसिंह राजपूत साकिन भीण्डर के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। ग्राम चौल तहसील कानोड के साबिक आ.नं. 6 मी रकबा 32.08 बिघा एवं आराजी नं 32 रकबा 16-07 बिघा के नये हाल आ.नं. 83, 86, 91 किता 3 रकबा 10.47 है भूमि वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 36 पर प्रफुल्लित सिंह, तेजसिंह, पूर्ण सिंह पिता करण सिंह वगैरा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। तहसीलदार कानोड द्वारा बताया कि हाल आराजी नं 82, 77 पर वर्तमान में वादियों का कब्जा है तथा आराजी नं. 83, 86 में से पूर्व दिशा में 3.24 है भूमि पर गजेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह, आजादकुंवर, चांदकुवर, पूरणकुवर, विनोदकुवर, सुगनकुवर पिता हरिसिंह, रामकुवर पत्नी हरिसिंह राजपुत का कब्जा है किन्तु पुराने नक्शे में आराजी नं. 6 मी. एवं 6/1 की तरमीम नहीं हो रखी है वर्तमान में उपरोक्त भूमि पढ़त होकर घास हो रही है।

4. प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में काबिज खातेदारो की नक्शा ट्रेस में स्थिति स्पष्ट नहीं किये जाने से उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा बताया कि राजस्व ग्राम चौल कि आराजी संख्या 77 रकबा 1.7000 है. किस्म वीड प्रथम आराजी संख्या 82 रकबा 1.5400 है. किस्म बारानी चतुर्थ कुल किता 02 रकबा 3.2400 है. भूमि खाता संख्या 115 पर खातेदार आजाद कुंवर पुत्री हरिसिंह 1/8 गजेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह 1/8 चांदकुंवर पुत्री हरिसिंह 1/8 नरेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह 1/8 पुरणकुंवर पुत्री हरिसिंह 1/8 रामकुंवर पत्नि हरिसिंह 1/8 विनोदकुंवर पुत्री हरिसिंह 1/8 एवं सुगनकुंवर पुत्री हरिसिंह 1/8 समस्त जाति राजपुत सभी निवासी भीण्डर के नाम दर्ज रेकर्ड हैं। राजस्व ग्राम चौल कि आराजी संख्या 83 किस्म बा.चतुर्थ रकबा 3.0400 है. आराजी संख्या 86 रकबा 3.9600 है. किस्म बारानी [illegible] किता 2 रकबा 7.000 है. भूमि खाता संख्या 36 पर खातेदार चक्रवीरसिंह पिता इन्द्रसिंह 5/[illegible] चंचल कुंवर पुत्री इन्द्रसिंह 1/27 तेजसिंह पिता करणसिंह 1/6 तमन्ना कुंवर पुत्री नरपतसिंह 1/27 पुर्णसिंह पिता करणसिंह 1/6 प्रफुल सिंह पिता करणसिंह 1/6 महेन्द्रसिंह पिता नरपतसिंह 5/54 रूपकुंवर पत्नि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:39:28 IST
Reason: SelfAttested

नरपतसिंह 1/27 ललितसिंह पिता करणसिंह 1/6 सुनिता कुवर पत्नि इन्द्रसिंह 1/27 जाति राजपुत सा. भीण्डर खातेदार के नाम दर्ज रेकर्ड है।

5. यह कि आराजी संख्या 77, 82, 83 व 86 मौके पर पडत होकर वर्तमान मे मौके पर बरसाती घास खडी है मौके पर किसी प्रकार की बाड व दीवार नही होकर किसी प्रकार की काश्त नहीं हो रही है। पटवारी हल्का द्वारा बताया कि आराजी संख्या 82 रकबा 1.5400 है. आराजी सं. 77 रकबा 1.7000 है. भूमि पर चक्रवीरसिंह, चंचलकुवर पिता इन्द्रसिंह, सुनिताकुवर पत्नि इन्द्रसिंह, तेजसिंह, पुर्णसिंह, प्रफुलसिंह, ललितसिंह पिता करणसिंह, महेन्द्रसिंह, तमन्नाकुंवर पिता नरपतसिंह, रूपकुंवर पत्नि नरपतसिंह समस्त जाति राजपुत निवासी भीण्डर द्वारा व इनके पातिदार (हिजारी) द्वारा आराजी संख्या 82 व 77 भूमि पर से बरसाती घास काटी (बीड भूमि के रूप में काम ली जाती है) जाती है उक्त भूमि पर इन्हीं लोगो द्वारा आवाजाही व देखभाल की जाती है तथा आराजी संख्या 82 व 77 पर उक्त खातेदार काबिज हैं तथा आराजी संख्या 83 रकबा 3.0400 है. व आराजी संख्या 86 रकबा 3.9600 है. भूमि कि पूर्वि दिशा से दक्षिणी दिशा में सजरी नक्शे अनुसार गजेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह, आजादकुंवर, चांदकुवर, पुरणकुंवर विनोदकुंवर, सुगनकुंवर पिता हरिसिंह, रामकुवर पत्नि हरिसिंह द्वारा व इनके पातिदार द्वारा आराजी संख्या 83 व 86 की पूर्वी दिशा से दक्षिणी दिशा में काबिज होकर बरसाती घास काटी जाति है व उक्त भूमि बीड भूमि के रूप में काम में ली जा रही हैं। पटवारी हल्का द्वारा आराजी संख्या 83 रकबा 3.0400 है. भूमि में से 1.2600 है. भूमि व आराजी संख्या 86 रकबा 3.9600 है. भूमि में से 1.9800 है. कुल किता 2 रकबा 3.2400 है. भूमि की काबिज खातेदारो की तरमीम कर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा चोल पटवार हल्का मोतीदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की साविक आराजी न. 6, 32 किता 2 रकबा 48 बीघा 9 बिस्वा स्थित होकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से अंकित थी। उक्त आराजी 6 में से 15 बिघा भूमि हरि सिंह पिता लाल सिंह राजपुत को प्रार्थीगण के पुर्वजों द्वारा विक्रय कर दी गयी जिसके खसरा संख्या 6/1 कायम किये गये एवं शेष खसरा न. 6 मी. रकबा 32 विघा 8 बिस्वा रही जो करण सिंह पिता माधू सिंह राजपुत के नाम पर अंकित हुई। साविक आराजी न. 6 मी. के नवीन आराजी न. 83, 86 किता 2 रकबा 7.000 है. व साविक आराजी न. 6/1 के नवीन आराजी न. 77, 82 किता 2 रकबा 3.24 है. कायम किये गये। अधिवक्ता प्रार्थी [illegible] कहा कि प्रार्थीगण की खातेदारी साविक आराजी न. 6 मी. के नवीन [illegible] कायम न कर अन्यत्र कर दिये गये जबकि प्रार्थीगण का कब्जा आराजी [illegible] 82 [illegible] 2 रकबा 3.24 है. भूमि पर हैं। अतः नवीन सेटलमेंट के बाद हुई त्रुटि को शुद्ध किये [illegible] का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:39:28 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार कानोड व पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के अध्ययन से पाया कि आराजी न. 77, 82 रकबा 3.2400 है. भूमि खाता संख्या 115 पर अंकित खातेदार आजाद कुंवर

पुत्री हरिसिंह 1/8 गजेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह 1/8 चांदकुंवर पुत्री हरिसिंह 1/8 नरेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह 1/8 पुरणकुंवर पुत्री हरिसिंह 1/8 रामकुंवर पत्नि हरिसिंह 1/8 विनोदकुंवर पुत्री हरिसिंह 1/8 एवं सुगनकुंवर पुत्री हरिसिंह 1/8 समस्त जाति राजपुत सभी निवासी भीण्डर के नाम दर्ज रकर्ड है लेकिन आराजी न. 77, 82 पर खातेदार महेन्द्रसिंह तमन्नाकुंवर पिता इन्द्रसिंह, सुनिताकुंवर पत्नि इन्द्रसिंह, तेजसिंह, पुनसिंह, प्रफुलसिंह, ललितसिंह पिता करणसिंह, महेन्द्रसिंह, तमन्नाकुंवर पिता नरपतसिंह, रूपकुंवर पत्नि नरपतसिंह समस्त जाति राजपुत निवासी भीण्डर काबिज है व इनके पातिदार (हिजारी) द्वारा बरसाती घास काटी (बीड भूमि के रूप में काम ली जाती है) जाती है। तहसीलदार कानोड व पटवारी हल्का रिपोर्ट से पाया कि आराजी न. 83, 86 किता 2 रकबा 7.000 हे. भूमि खाता संख्या 36 पर अंकित खातेदार नरवीरसिंह पिता इन्द्रसिंह 5/54 चंदन कुंवर पुत्री इन्द्रसिंह 1/27 तेजसिंह पिता करणसिंह 1/6 तमन्ना कुंवर पुत्री नरपतसिंह 1/27 पुनसिंह पिता करणसिंह 1/6 प्रफुल सिंह पिता करणसिंह 1/6 महेन्द्रसिंह पिता नरपतसिंह 5/54 रूपकुंवर पत्नि नरपतसिंह 1/27 ललितसिंह पिता करणसिंह 1/6 सुनिता कुंवर पत्नि इन्द्रसिंह 1/27 जाति राजपुत सा. भीण्डर खातेदार के नाम दर्ज रकर्ड है लेकिन आराजी न. 83, 86 भूमि की पूर्वी दिशा से दक्षिणी दिशा में सजरी नक्शे अनुसार गजेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह, आजादकुंवर, चांदकुंवर, पुरनकुंवर, विनोदकुंवर, सुगनकुंवर पिता हरिसिंह, रामकुंवर पत्नि हरिसिंह काबिज है व इनके पातिदार द्वारा आराजी संख्या 83 व 86 की पूर्वी दिशा से दक्षिणी दिशा में काबिज होकर बरसाती घास काटी जाति है व उक्त भूमि बीड भूमि के रूप में काम में ली जा रही है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा आराजी संख्या 83 रकबा 3.0400 हे. भूमि में से 1.2600 हे. भूमि व आराजी संख्या 86 रकबा 3.9600 हे. भूमि में से 1.9800 हे. कुल किता 2 रकबा 3.2400 हे. भूमि की काबिज खातेदारो की तरमीम कर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति पेश की जिसमें बताया गया है कि खातेदार कर्णसिंह पिता माधवसिंह राजपुत निवासी भीण्डर द्वारा आराजी न. 6 में से 15 बिघा भूमि हरिसिंह पिता लालसिंह को विक्रय की गई। उक्त विक्रय पत्र में विक्रय शुदा भूमि के पडौस अंकित है जिसमें पूर्व दिशा में वेरी पानी की, पश्चिम दिशा में खुद की जमीन, उत्तर दिशा में वेरी पानी की, दक्षिण दिशा में डाया रावत के दोड का अंकित है। उक्त विक्रय पत्र से भी स्पष्ट है हरिसिंह पिता लालसिंह को पूर्व से दक्षिण दिशा की भूमि विक्रय की गई थी जबकि पश्चिम में खातेदार कर्णसिंह की स्वय की भूमि है।

8 अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार कानोड, [illegible] हल्का की रिपोर्ट व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर यह [illegible] कि प्रार्थीगण [illegible] आराजी न. की तरमीम मांग अनुसार नहीं कर अन्यत्र कर [illegible] दिशा से दक्षिणी दिशा (सलग्न नक्शे अनुसार) प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। [illegible]गण का कब्जा आराजी न. 77, 82 रकबा 3.2400 हे. भूमि पर है जो तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:39:28 IST
Reason: SelfAttested

महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू-प्रबन्ध
मानननीय जिला कलक्टर
की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व
विभाग द्वारा
/एल आर/6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप-6
मण्डल के अपील
सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.(12) राज.16/92/26 दिनांक 20.12
विभाग राजस्थान
पूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों
1995 का ध्यान
आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।
को सुधारा जाना

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू. राजस्व अधिनियम के
परिणामस्वरूप
स्वीकार किया जाता है कि मौजा चोल पटवार हल्का मोतीदा तहसील कानोड जिला उदयपुर
राज. की जमाबंदी संवत 2078-81 की खाता संख्या नया 115 की आराजी न. 77, 82 किता 2
रकबा 3.24 हे. भूमि वर्तमान खातेदार के बजाय चक्रवीरसिंह पिता इन्द्रसिंह, चंचल कुंवर पुत्री
इन्द्रसिंह, तेजसिंह पिता करणसिंह, तमन्ना कुंवर पुत्री नरपतसिंह, पुर्णसिंह पिता करणसिंह,
प्रफुल सिंह पिता करणसिंह, महेन्द्रसिंह पिता नरपतसिंह, रुपकुंवर पत्नि नरपतसिंह, ललितसिंह
पिता करणसिंह, सुनिता कुंवर पत्नि इन्द्रसिंह जाति राजपुत सा. भीण्डर खातेदार के नाम हिस्से
अनुसार दर्ज किये जाने व खाता संख्या नया 36 की आराजी न. 83 रकबा 3.0400 हे. में से 1.
2600 हे. भूमि व आराजी न. 86 रकबा 3.9600 हे. में से 1.9800 हे. भूमि कुल रकबा 3.2400
हे. भूमि प्रस्तावित (संलग्न) नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान खातेदार के बजाय खातेदार आजाद
कुंवर पुत्री हरिसिंह, गजेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह, चांदकुंवर पुत्री हरिसिंह, नरेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह,
पुरणकुंवर पुत्री हरिसिंह, रामकुंवर पत्नि हरिसिंह, विनोदकुंवर पुत्री हरिसिंह, सुगनकुंवर पुत्री
हरिसिंह समस्त जाति राजपुत सा. भीण्डर खातेदार के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा
ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तूर रहें। पालना हेतु
तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:39:28 IST
Reason: SelfAttested